>

Title: Regarding recruitment of teachers against posts reserved for Other Backward Classes (OBCs) in Kendriya Vidyalaya Sangathan.

**श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर):** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार, खास तौर से मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति में की जा रही धांधली और मनमानेपन की ओर आकृÂष्ट करना चाहता हूं। लंबी जद्दोजहद के बाद केन्द्रीय सरकार ने पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि सदियों से वंचित ये जातियां समाज की मुख्य धारा में आ सकें और आगे बढ़ सकें। सरकार के इस निर्णय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने भी अपनी मुहर लगा दी। पर निहित स्वार्थ के कारण नौकरशाही ऐसा काम करती है ताकि पिछड़ों को उनका वाजिब हक न मिल सके। यही कारण है कि आज तक न तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित पदों को भरा जा सका और न ही पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों को।

महोदय, मैं इस संबंध में एक चौंकाने वाले तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृÂष्ट करना चाहता हूं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने प्रतियोगी परीक्षा के बाद विगत 15 दिसम्बर, 2010 को 363 टीजीटी ड्राइंग शिक्षकों की नियुक्ति की सूची जारी की। पर इस नियुक्ति सूची में उच्च जाति/सवर्ण जाति के उम्मीदवारों को पिछड़ी जाति की श्रेणी में डालकर नियुक्ति दे दी गई जिसके दस्तावेज, सबूत भी हैं। ऐसी आशंका है कि इसी तरह के कार्यकलाप अन्य विभागों में भी किए जा रहे हैं। अत: हमारी सरकार से मांग है कि 15 दिसम्बर, 2010 को जारी नियुक्ति आदेश की सूची की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और उसमें लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।